

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी (म.प्र.)

॥ कार्य-विभाजन संशोधन आदेश ॥

क्रमांक/ 100/S.W./एक-5-1/2005-25

बड़वानी, दिनांक 10/02/2025

-0-

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक 59/Confdl./2025/II-2-1/2025, दिनांक 16.01.2025 के द्वारा जिला मुख्यालय बड़वानी पर द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी तथा तहसील मुख्यालय सेंधवा पर तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा की पदस्थापनाएं की गई हैं।

अतः मैं, **महेन्द्र कुमार जैन**, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला-बड़वानी व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-8(7), 8(8), 214, 422(2) एवं 441 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायिक जिला बड़वानी में पदस्थ न्यायाधीशगण के मध्य सिविल एवं दाण्डिक कार्यों के सम्पादन हेतु वर्ष 2025 हेतु जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में आदेश दिनांक से आगामी आदेश होने तक के लिए निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ, इस कार्य विभाजन के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीशों के पास लंबित हैं या प्रस्तुत किया गया है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा :-

**1/** कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमिक 3-“न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी” की कण्डिका “**5-विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पेश होने वाले सत्र खण्ड बड़वानी के समस्त विद्युत क्षेत्र (सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र को छोड़कर) संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर)**” को विलोपित कर कण्डिका क्रमांक 6 लगायत 11 को क्रमशः 5 लगायत 10 संशोधित किया जाता है।

**2/** कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमिक क्रमांक 3 के पश्चात् अनुक्रमिक 3(a)-“न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी” निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

क्र	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
3 (a)	न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी		<b>व्यवहार प्रकरण :-</b> 1. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेश के द्वारा अन्तरित प्रकरण। 2. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। <b>आपराधिक प्रकरण :-</b> 3. विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पेश होने वाले सत्र खण्ड बड़वानी के समस्त विद्युत क्षेत्र (सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र को छोड़कर) संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर) 4. सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएँ, जमानत आवेदन पत्र व अन्य दाण्डिक प्रकरण।

5. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियां इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।

3/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमिक क्रमांक 5-न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा के संबंध में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

क	न्यायालय	क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
5.	न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा	तहसील सेंधवा, वरला	<p><b>व्यवहार प्रकरण :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. मूल सांपत्तिक वाद 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण।</li> <li>2. लघुवाद प्रकरण 501 रुपये से अधिक एवं 1000 रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण।</li> <li>3. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के प्रकरण।</li> <li>4. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसील्वेंसी) प्रकरण 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्यांकन के।</li> <li>5. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आवेदन पत्र।</li> <li>6. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र</li> <li>7. भारतीय ट्रेड मार्क एवं ट्रस्ट एक्ट के तहत आवेदनपत्र</li> <li>8. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रकरण।</li> <li>9. प्रोबेट आवेदन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</li> <li>10. इंडियन गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।</li> <li>11. सिविल न्याय पंचायत, रिक्वीजन, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण।</li> <li>12. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1981 की धारा 20 के तहत प्रस्तुत चुनाव याचिका।</li> <li>13. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें- <ul style="list-style-type: none"> <li>- व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड सेंधवा/ग्राम न्यायालय सेंधवा</li> <li>- स्थानीय अर्थोरेटी द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरुद्ध।</li> </ul> </li> <li>14. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना सेंधवा शहर, तहसील वरला के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण।</li> <li>15. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य - प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित।</li> <li>16. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियों इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत।</li> </ol>

**आपराधिक प्रकरण :-**

17. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दंडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएं एवं अन्य दंडिक प्रकरण।

क न्यायालय क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार संहिता/प्रकरण/आवेदन

18. विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर विद्युत क्षेत्र संबंधी विशेष प्रकरणों संबंधी समस्त कार्यवाही। (वर्तमान/पूर्व सांसद/विधायकों के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर)।

19. निक्षेपो के हितो का संरक्षण अधिनियम के अधीन तहसील सत्र खण्ड सेंधवा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों प्रस्तुत होंगे। इस संबंध में अधिसूचना दिनांक 14.10.19 अवलोकनीय है।

20. आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, वरला एवं खेतिया से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र।

21. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत। 3

22. आरक्षी केंद्र सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण, वरला, पानसेमल, निवाली एवं खेतिया की स्थानीय सीमाओं से उत्पन्न विशेष अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पाक्सो एक्ट) से संबंधित प्रकरणों को प्राप्त कर रिमाण्ड प्रदाय करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व अंतरण हेतु सत्र न्यायालय बड़वानी को भेजेंगे।

**नोट ए :-** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड सेंधवा), न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सेंधवा के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध आपराधिक अपीलों, पुनरीक्षण याचिकाओं तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सेंधवा के आदेशों के विरुद्ध दंडिक पुनरीक्षण याचिका प्राप्त कर सुनवाई करेंगे एवं उन्हें पंजीयन व अंतरण हेतु सत्र न्यायालय बड़वानी को भेजेंगे।

**नोट बी:-** ऐसे आपराधिक सत्र प्रकरण/विशेष प्रकरण/जमानत आवेदन पत्र जो सत्र खण्ड सेंधवा में अन्य किसी अधिनियम से उद्भूत होते हैं एवं जिनका इस कार्य विभाजन पत्रक में उल्लेख नहीं है।

4/ कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 8 दिनांक 09.01.2025 में कॉलम क्रमांक 1 के अनुक्रमंक 5-न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा के पश्चात् अनुक्रमंक 5(a)-"न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा" निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

क न्यायालय क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार संहिता/प्रकरण/आवेदन

- 5(a) न्यायालय तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेंधवा तहसील पानसेमल, निवाली।
- व्यवहार प्रकरण :-**
1. मूल सांपत्तिक वाद 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्याकन के प्रकरण।
  1. लघुवाद प्रकरण 501 रुपये से अधिक एवं 1000 रुपये तक के मूल्याकन के प्रकरण।
  2. धारा 22 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्याकन के प्रकरण।
  3. प्रांतीय शोधन क्षमता (इंसील्वेंसी) प्रकरण 1,00,00,001 रुपये से अन्यून मूल्याकन के।
  4. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आवेदन पत्र।
  5. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के तहत आवेदन पत्र

क

न्यायालय

क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार

संहिता/प्रकरण/आवेदन

6. भारतीय ट्रेड मार्क एवं ट्रस्ट एक्ट के तहत आवेदनपत्र
7. मूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत प्रकरण ।
8. प्रोबेट आवेदन, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
9. इंडियन गार्जियन एंड वॉर्ड्स एक्ट के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण ।
10. सिविल न्याय पंचायत, रिक्वीजन, म.प्र. शेड्यूल ट्राईब डेब्ट रिलीफ रेग्यूलेशन एक्ट एवं नगर पालिका विधान के तहत प्रस्तुत होने वाले पुनरीक्षण प्रकरण ।
11. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1981 की धारा 20 के तहत प्रस्तुत चुनाव याचिका ।
12. मूल सिविल एवं विविध सिविल अपीलें—
  - व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा
  - व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड खेतिया
 के द्वारा पारित निर्णय, जयपत्र एवं आदेशों के विरुद्ध ।
13. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तहसील पानसेमल, निवाली एवं आरक्षी केंद्र सेंधवा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत घटित दुर्घटना अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के निवास होने से उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समस्त प्रकरण
14. दीवानी प्रकरण एवं अन्य कार्य — प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर न्यायिक एवं प्रशासकीय आदेशों के द्वारा अन्तरित ।
15. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।

#### आपराधिक प्रकरण :-

16. सत्र न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर भेजे जाने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण याचिकाएँ एवं अन्य दाण्डिक प्रकरण ।
17. आरक्षी केंद्र सेंधवा ग्रामीण, पानसेमल, निवाली, आबकारी विभाग एवं वन वृत्त सेंधवा से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 एवं 483 के जमानत आवेदन पत्र ।
18. निष्पादन/विविध प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ इस न्यायालय द्वारा निराकृत प्रकरणों से उद्भूत ।

**नोट ए :-** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा (व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सेंधवा) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया के निर्णयों एवं आदेशों के विरुद्ध आपराधिक अपीलों, पुनरीक्षण याचिका प्राप्त कर सुनवाई करेगी एवं उन्हें पंजीयन व अंतरण हेतु सत्र न्यायालय बड़वानी को भेजेगी ।

**5/** कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में आवश्यक निर्देश के बिन्दु क्रमांक 5 की तालिका में रिक्त न्यायालयों की कार्यवाही हेतु न्यायालय अधिकृत करने के संबंध में तालिका में "द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी/ सदस्य, द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण" तथा "तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा/सदस्य तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सेंधवा" को विलोपित किया जाता है ।

**6/** कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 6 दिनांक 09.01.2025 में "न्यायालय के रिक्त होने पर या अवकाश प्रभार के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		बड़वानी		बड़वानी	
12	द्वितीय व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, बड़वानी	द्वितीय व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, बड़वानी	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड
13	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	प्रथम व्य. न्या. वरिष्ठ खंड बड़वानी
14	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड	व्य. न्या. वरिष्ठ खंड, अंजड	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
15	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, अंजड	व्य. न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अंजड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी
16	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड, राजपुर
17	न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर
18	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड खेतिया	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति. व्य. न्या. कनि. खंड राजपुर
19	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खेतिया	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सेंधवा	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सेंधवा	व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर	अति. व्य. न्या. कनिष्ठ खंड राजपुर

(महेन्द्र कुमार जैन)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 बड़वानी (म.प्र.)

पृ.क./ 366 / एक-5-1/2005-25

बड़वानी, दिनांक 10/02/2025

**प्रतिलिपि :- आदेशानुसार**

- 01-प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी।
  - 02-विशेष न्यायाधीश, बड़वानी।
  - 03-प्रथम / द्वितीय / तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी / सेंधवा।
  - 04-प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड एवं बड़वानी।
  - 05-व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, अंजड / सेंधवा।
  - 06-प्रथम / द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, बड़वानी।
  - 07-व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, राजपुर / सेंधवा / खेतिया।
  - 08-अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अंजड / राजपुर।
  - 09- प्रभारी अधिकारी, फाईलिंग काउंटर, कम्प्यूटर अनुभाग, बड़वानी।
  - 10-अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बड़वानी/अंजड/राजपुर/सेंधवा/खेतिया।
  - 11-प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
  - 12-प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(10/02/25)  
 प्रशासनिक अधिकारी,  
 कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 बड़वानी (म.प्र.)